

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2018—अग्रहायण 30, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 नवम्बर 2018

क्र. ई-5-1008-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री शमीम उद्दीन, आयएस., संचालक, पंचायती राज तथा पदेन उपसचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 19 से 27 नवम्बर 2018 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17 एवं 18 नवम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री शमीम उद्दीन, भाप्रसे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अमित राठौर, भाप्रसे, सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण

विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री शमीम उद्दीन, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, पंचायती राज तथा पदेन उपसचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री शमीम उद्दीन, भाप्रसे, द्वारा संचालक, पंचायती राज तथा पदेन उपसचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमित राठौर, भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री शमीम उद्दीन, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शमीम उद्दीन, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2018

क्र. ई-5-642-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विवेक अग्रवाल, आयएस., प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड भोपाल तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 29 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2018 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08 एवं 09 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

(2) श्री विवेक अग्रवाल, भाप्रसे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे, आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा पदेन सचिव, नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक अग्रवाल, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक राजधानी परियोजना प्रशासन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड भोपाल तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री विवेक अग्रवाल, भाप्रसे द्वारा प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रशासक राजधानी परियोजना प्रशासन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड भोपाल तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री विवेक अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1052-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशीष कुमार, आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, को दिनांक 5 से 9 नवम्बर 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 एवं 10, 11 नवम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष कुमार, आयएस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आशीष कुमार, आयएस. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष कुमार, आयएस. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2018

क्र. ई-5-409-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. आर. मोहनती, भाप्रसे, (1982) अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश, भोपाल को दिनांक 20 दिसम्बर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक, सत्रह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. आर. मोहनती को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एस. आर. मोहनती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. आर. मोहनती, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-888-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला राजगढ़ को दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2018 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 एवं 30 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री कर्मवीर शर्मा की अवकाश अवधि में श्रीमती भव्या मिततल, भाप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला राजगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कर्मवीर शर्मा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, कलेक्टर, जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री कर्मवीर शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला राजगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती भव्या मिततल, भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्री कर्मवीर शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कर्मवीर शर्मा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1070-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री सुरेश कुमार, भाप्रसे, सचिव, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अक्टूबर 2018 द्वारा दिनांक 15 से 18 अक्टूबर 2018 तक चार दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 17 दिसम्बर 2018 एवं 11 जनवरी 2019 तक छब्बीस दिन का संशोधित/पुनरीक्षित एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 दिसम्बर 2018 एवं 12, 13 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सुरेश कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री सुरेश कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुरेश कुमार, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2018

क्र. ई-5-593-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अशोक बर्णवाल, आयएएस., प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग को दिनांक 22 से 24 नवम्बर 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 25 नवम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति भी प्रदान की जाती है।

(2) श्री अशोक बर्णवाल की अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग का प्रभार श्री डी. पी. आहूजा, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड एवं पदेन सचिव, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक बर्णवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री अशोक बर्णवाल द्वारा प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. पी. आहूजा, भाप्रसे, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री अशोक बर्णवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक बर्णवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-889-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, आयएएस., कलेक्टर, जिला विदिशा को दिनांक 17 से 24 दिसम्बर 2018 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 25 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की अवकाश अवधि में श्री एच. पी. वर्मा, भाप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला विदिशा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला विदिशा का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला विदिशा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला विदिशा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एच. पी. वर्मा, कलेक्टर, जिला विदिशा के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 13 नवम्बर 2018

क्र. ई-5-481-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री इकबाल सिंह बैस, आयएएस., विकअ-सह-विकास आयुक्त एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, संसदीय कार्य विभाग एवं आनंद विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2018 द्वारा दिनांक 12 से 20 नवम्बर 2018 तक नौ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 9 से 19 नवम्बर 2018 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 नवम्बर 2018 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 29 सितम्बर 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई-5-486-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद चन्द्र सेमवाल, आयएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अक्टूबर 2018 द्वारा दिनांक 12 से 22 नवम्बर 2018 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 9 से 22 नवम्बर 2018 तक, चौदह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 23 नवम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 5 अक्टूबर 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2018

क्र. ई-5-985-आयएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री तन्वी हुड्डा, आयएस., अपर कलेक्टर, जिला सागर को दिनांक 17 दिसम्बर 2018 से 2 जनवरी 2019 तक, सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री तन्वी हुड्डा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, अपर कलेक्टर, जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री तन्वी हुड्डा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री तन्वी हुड्डा, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-990-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजय कुमार शर्मा, भाप्रसे (2005), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 19 नवम्बर से 14 दिसम्बर 2018 तक, छब्बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार शर्मा, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2018

क्र. ई-5-839-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती रेनु पंत, आयएस, सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को दिनांक 17 से 29 दिसम्बर 2018 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 एवं 30 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेनु पंत को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रेनु पंत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रेनु पंत अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2018

क्र. ई-5-859-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री भरत यादव, आयएस., कलेक्टर, जिला मुरैना को दिनांक 29 दिसम्बर 2018 से 10 जनवरी 2019 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री भरत यादव की अवकाश अवधि में सुश्री सोनिया मीना, भाप्रसे, अपर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला मुरैना का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री भरत यादव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री भरत यादव द्वारा कलेक्टर, जिला मुरैना का कार्यभार ग्रहण करने पर सुश्री सोनिया मीना, भाप्रसे कलेक्टर, जिला मुरैना के प्रभार से मुक्त होंगीं

(5) अवकाशकाल में श्री भरत यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भरत यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-873-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अभिषेक सिंह, भाप्रसे., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को दिनांक 17 दिसम्बर 2018 से 1 जनवरी 2019 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अभिषेक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1001-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. आर. आर. भोंसले, आयएएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को दिनांक 17 दिसम्बर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक, बीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 दिसम्बर 2018 एवं 6 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. आर. आर. भोंसले, आयएएस. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में डॉ. आर. आर. भोंसले, आयएएस., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. आर. आर. भोंसले, आयएएस. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2018

क्र. ई.-5-630-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीरज मंडलोई, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम एवं प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 28 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2018 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 08, 09 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री नीरज मंडलोई की अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव, खनिज साधन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम का प्रभार श्री शिव शेखर शुक्ला, भाप्रसे., विकअ-सह-आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा तथा प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग को तथा प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार श्री अजीत कुमार, भाप्रसे., आयुक्त, उच्च शिक्षा तथा परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन भोपाल एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज मंडलोई को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम एवं प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री नीरज मंडलोई द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज निगम एवं प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिव शेखर शुक्ला, भाप्रसे एवं श्री अजीत कुमार, भाप्रसे सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री नीरज मंडलोई को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज मंडलोई, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-631-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजय दुबे, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग को दिनांक 4 से 14 दिसम्बर 2018 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 15, 16 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश तथा दिनांक 3 दिसम्बर 2018 के स्थानीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री संजय दुबे की अवकाश अवधि में श्री अनुपम राजन, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग तथा पर्यावरण आयुक्त, महानिदेशक एफको तथा आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, श्रम विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री संजय दुबे द्वारा प्रमुख सचिव, श्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनुपम राजन, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, श्रम विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री संजय दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय दुबे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते।

क्र. ई.-5-968-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री सोनिया मीना, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना को दिनांक 13 दिसम्बर 2018 से 2 जनवरी 2019 तक, इक्कीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री सोनिया मीना, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में सुश्री सोनिया मीना, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सोनिया मीना, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2018

क्र. ई-5-872-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस., कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को दिनांक 17 से 22 दिसम्बर 2018 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 23 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस., की अवकाश अवधि में कलेक्टर, जिला होशंगाबाद का प्रभार श्री के. डी. त्रिपाठी, राप्रसे, अपर कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस., द्वारा कलेक्टर, जिला होशंगाबाद का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. डी. त्रिपाठी, उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस., अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2018

क्र. ई-5-817-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री राहुल जैन, आयएएस., कलेक्टर, जिला सतना को दिनांक 19 से 29 दिसम्बर 2018 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राहुल जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सतना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री राहुल जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राहुल जैन, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1010-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री क्षितिज सिंघल, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल को दिनांक 1 से 7 दिसम्बर 2018 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री क्षितिज सिंघल, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री क्षितिज सिंघल, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री क्षितिज सिंघल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2018

क्र. ई-5-532-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सलीना सिंह, आयएएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 6 से 14 दिसम्बर 2018 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की भी अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती सलीना सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती शिखा दुबे, भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग तथा विकअ-सह-आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सलीना सिंह, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती सलीना सिंह द्वारा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती शिखा दुबे, भाप्रसे, उक्त प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती सलीना सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सलीना सिंह अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2018

क्र. ई-5-768-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संदीप यादव, आयएस., अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिये) को दिनांक 17 से 29 दिसम्बर 2018 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संदीप यादव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिये) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री संदीप यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संदीप यादव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-867-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री तरुण कुमार पिथौड़े, भाप्रसे, कलेक्टर, सीहोर को दिनांक 17 से 29 दिसम्बर 2018 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 एवं 30 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

(2) श्री तरुण कुमार पिथौड़े की अवकाश अवधि में श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा, भाप्रसे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीहोर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कलेक्टर सीहोर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री तरुण कुमार पिथौड़े को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री तरुण कुमार पिथौड़े द्वारा कलेक्टर, कलेक्टर सीहोर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा, भाप्रसे, कलेक्टर, कलेक्टर, सीहोर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री तरुण कुमार पिथौड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरुण कुमार पिथौड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-979-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़, आयएस., उपसचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दिनांक 5 से 18 दिसम्बर 2018 तक, चौदह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, उपसचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़ अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1026-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएस., उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 21 से 31 दिसम्बर 2018 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2018

क्र. ई-5-891-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री भास्कर लक्षकार, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग तथा लोक

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 17 से 22 दिसम्बर 2018 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री भास्कर लक्षकार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री भास्कर लक्षकार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री भास्कर लक्षकार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-900-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आनन्द कुमार शर्मा, आयएस., आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश को दिनांक 31 दिसम्बर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 दिसम्बर 2018 एवं 6 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री आनन्द कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आनन्द कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2018

क्र. ई-5-691-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, भाप्रसे (1993) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2018 द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर 2018 से 30 जून 2019 तक दो सौ उनन्चास दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें 26 से 30 अक्टूबर 2018 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 13 नवम्बर से 30 जून 2019 तक दो सौ तीस दिन का संशोधित/पुनरीक्षित चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत्।

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2018

क्र. ई-5-926-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री स्वरोचिष सोमवंशी, भाप्रसे को दिनांक 9 से 12 नवम्बर 2018 तक चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री स्वरोचिष सोमवंशी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वरोचिष सोमवंशी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2018

क्र. ई-5-1077-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बसंत कुर्रे, आयएस., अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इंदौर मध्यप्रदेश को दिनांक 25 सितम्बर से 6 अक्टूबर 2018 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री बसंत कुर्रे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बसंत कुर्रे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2018

क्र. ई-5-932-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बी. कार्तिकेयन, आयएस., अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल को समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जून 2018 द्वारा दिनांक 29 जून से 6 जुलाई 2018 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 29 जून से 4 जुलाई 2018 तक छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जून 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2018

क्र. ई-5-691-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती दीप्ति गौड़ मुकर्जी, भाप्रसे, (1993) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 6 नवम्बर 2018 द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर 2018 से 30 जून 2019 तक दो सौ उनन्चास दिन का चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें 26 से 30 अक्टूबर 2018 तक पांच

दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14 नवम्बर 2018 से 30 जून 2019 तक दो सौ उन्तीस दिन का संशोधित/पुनरीक्षित चाइल्ड केयर अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 6 नवम्बर 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत।

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2018 .

क्र. ई-5-454-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री बसंत प्रताप सिंह, भाप्रसे, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 30 नवम्बर से 6 दिसम्बर 2018 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री बसंत प्रताप सिंह, भाप्रसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री बसंत प्रताप सिंह को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बसंत प्रताप सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अर्चना सोलंकी, उप सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-88-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री योगेश देशमुख, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर को दिनांक 24 दिसम्बर 2018 से 5 जनवरी 2019 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत एवं दिनांक 23 दिसम्बर 2018 व 6 जनवरी 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित थाईलैण्ड की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रदान की जाती है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे।

(2) श्री योगेश देशमुख, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री संजय कुमार, भापुसे उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल रेन्ज, ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश देशमुख, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री योगेश देशमुख, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री योगेश देशमुख, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश देशमुख, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-86-2018-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अन्वेष मंगल, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, महिला अपराध पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 17 से 22 दिसम्बर 2018 तक पांच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 15-16 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में सिंगापुर एवं इण्डोनेशिया की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के तहत प्रदान की जाती है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अन्वेष मंगलम, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1-64-2018-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 8 अगस्त 2018 द्वारा श्री के. एन. तिवारी, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, (प्रशिक्षण/शिकायत), पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 15 दिसम्बर 2018 से 13 जनवरी 2019 तक तीस दिवस अर्जित अवकाश के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित न्यूयार्क शहर, नियागरा फाल्स, गैण्ड कैनिनयन तथा आस्टिन (टेक्सास) संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.) की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति प्रदान की गई थी.

(2) श्री के. एन. तिवारी, भापुसे, द्वारा अपरिहार्य कारणों से उक्त स्वीकृत अवकाश का लाभ न लेने के कारण (Ex-India Leave) एवं विदेश यात्रा की अनुमति निरस्त की जाती है.

क्र. एफ-1(ए)-53-1995-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, विसबल रेंज, जबलपुर को दिनांक 29 नवम्बर 2018 से 12 जनवरी 2019 तक पैंतालीस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल रेंज, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजाबाबू सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1(ए)-199-1991-ब-2-दो.—राज्य शासन श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2018 तक दस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस

महानिदेशक, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2018

क्र. एफ-1(बी)-09-15-बी-4-दो.—राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 05735-1859-I-iv, दिनांक 24 दिसम्बर 1962 में निहित प्रावधानों के तहत राज्य पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के विवाह उपरांत केवल शासकीय सेवा संबंधी प्रयोजन हेतु जिसमें कोई अन्य दावा प्रमाणित एवं प्रभावित नहीं होगा की शर्त पर नाम परिवर्तन की अनुमति उनके नाम के सम्मुख कॉलम 3 में अंकित अनुसार प्रदान की जाती है:—

स. क्र.	अधिकारी का वर्तमान नाम	विवाहोपरांत परिवर्तित नाम
(1)	(2)	(3)
1.	कुमारी आभा टोप्पो	श्रीमती आभा तिकी

क्र. एफ-1(ए)-252-1988-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री के. एन. तिवारी, भापुसे विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) पु. मु. भोपाल को दिनांक 17 से 23 दिसम्बर 2018 तक कुल सात दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-16 दिसम्बर 2018 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2018-21 में केरीफार्ड करते हुए) में परिवार सहित हैबलाक (अण्डमान द्वीप समूह) की अवकाश यात्रा सुविधा परिवार के निम्नलिखित सदस्यों सहित एवं 10 दिवस अवकाश नगदीकरण के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री के. एन. तिवारी	स्वयं
2.	श्रीमती अल्का तिवारी	पति

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. एन. तिवारी, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण) पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री के. एन. तिवारी, भापुसे, को अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. एन. तिवारी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. मुकाती, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2018

फा. क्र. 3 (ए)-2017-इक्कीस-ब(एक)-5956.— (मेरिट क्रमांक 87), राज्य शासन श्री अजय उइके पुत्र श्री अर्जुन लाल उइके को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सिवनी (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 01 अप्रैल, 1994 है.

फा. क्र.3(ए)-2017-इक्कीस-ब(एक)-6012.— (मेरिट क्रमांक 92), राज्य शासन श्री तेज सिंह गौड़ पुत्र स्व. श्री बालचंद गौड़ को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 01 जनवरी, 1983 है.

फा. क्र.3(ए)-2017-इक्कीस-ब(एक)-6022.— (मेरिट क्रमांक 77), राज्य शासन सुश्री निकिता पवार पुत्री श्री मदन सिंह पवार को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 23 जून, 1994 है.

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2018

फा. क्र.3(ए)-2017-इक्कीस-ब(एक)-6011.— (मेरिट क्रमांक 69), राज्य शासन सुश्री के. शिवानी पुत्री श्री कैलाश प्रसाद को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला भोपाल (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 23 सितम्बर, 1992 है.

फा. क्र.3(सी)-8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री संजय सेठ, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- (रुपये पांच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 19 अक्टूबर 2018 से 18 अक्टूबर 2019 तक एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन(102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारत (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र.3(सी)-8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री नितिन अग्रवाल, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- (रुपये पांच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 19 अक्टूबर 2018 से 18 अक्टूबर 2019 तक एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन(102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारत (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र.3(सी)-8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री अंकित सक्सेना, अधिवक्ता, ग्वालियर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- (रुपये पांच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 20 अक्टूबर 2018 से 19 अक्टूबर 2019 तक एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन(102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारत (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र.3(सी)-8-86-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, श्री समीर सक्सेना, अधिवक्ता, इंदौर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) (मध्यप्रदेश सीरीज) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाइम रिपोर्टर के स्थायी पद पर रुपये 5000/- (रुपये पांच हजार) केवल प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर दिनांक 20 अक्टूबर 2018 से 19 अक्टूबर 2019 तक एक वर्ष अथवा नवीन नियुक्ति होने (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन(102) उच्च न्यायालय (0573) उच्च न्यायालय भारत (01) वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

फा. क्र. 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(एक)-5846-018.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस निमित्त पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में वर्णित विशेष न्यायालयों का, पूर्वोक्त अधिनियम के भाग-14 में निर्दिष्ट अपराधों का शीघ्र विचारण करने के प्रयोजनों के लिये उसके (अनुसूची के) कॉलम (4) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में वर्णित किये गये क्षेत्रों के लिए गठन करता है:—

सारणी

अनु. क्रमांक (1)	सिविल जिले का नाम (2)	विशेष न्यायालय का नाम (3)	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार) (4)
01.	अलीराजपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अलीराजपुर	अलीराजपुर का विद्युत क्षेत्र
02.	अलीराजपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जोबट	जोबट का विद्युत क्षेत्र
03.	अनूपपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर	अनूपपुर, कोतमा एवं राजेन्द्रग्राम का विद्युत क्षेत्र
04.	अशोकनगर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर	अशोकनगर का विद्युत क्षेत्र
05.	अशोकनगर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुंगावली	मुंगावली एवं चंदेरी का विद्युत क्षेत्र
06.	बालाघाट	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट	सिविल जिला बालाघाट का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 7 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
07.	बालाघाट	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, वारासिवनी	वारासिवनी का विद्युत क्षेत्र
08.	बड़वानी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वानी	सिविल जिला बड़वानी का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 09 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
09.	बड़वानी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सेंधवा	सेंधवा, अंजड़ एवं राजपुर का विद्युत क्षेत्र
10.	बैतूल	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बैतूल	सिविल जिला बैतूल तथा भैंसदेही का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 11 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
11.	बैतूल	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुलताई	मुलताई का विद्युत क्षेत्र
12.	भिण्ड	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भिण्ड	सिविल जिला भिण्ड का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 13 एवं 14 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).

(1)	(2)	(3)	(4)
13.	भिण्ड	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लहार	लहार का विद्युत क्षेत्र
14.	भिण्ड	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गोहद	गोहद का विद्युत क्षेत्र
15.	भोपाल	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम, 2003) क्रमांक-1.	सिविल जिला भोपाल का साउथ डिवीजन एवं ईस्ट डिवीजन का विद्युत क्षेत्र.
16.	भोपाल	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम 2003) क्रमांक-2.	सिविल जिला भोपाल का नार्थ डिवीजन ओ. एंड एम. डिवीजन, वेस्ट डिवीजन का विद्युत क्षेत्र.
17.	बुरहानपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बुरहानपुर	बुरहानपुर का समस्त विद्युत क्षेत्र
18.	छतरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छतरपुर	सिविल जिला छतरपुर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 19 एवं 20 तथा 21 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
19.	छतरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नौगांव	नौगांव का विद्युत क्षेत्र
20.	छतरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बिजावर	बिजावर का विद्युत क्षेत्र
21.	छतरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लवकुशनगर	लवकुशनगर का विद्युत क्षेत्र
22.	छिंदवाड़ा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, छिंदवाड़ा	सिविल जिला छिंदवाड़ा का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 23 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
23.	छिंदवाड़ा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरवाड़ा	अमरवाड़ा का विद्युत क्षेत्र (थाना चांद के क्षेत्र से उदभूत होने वाले प्रकरणों को छोड़कर).
24.	दमोह	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह	सिविल जिला दमोह का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 25 एवं 26 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
25.	दमोह	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, तेंदुखेड़ा	तेंदुखेड़ा एवं पथरिया का विद्युत क्षेत्र
26.	दमोह	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हटा	हटा का विद्युत क्षेत्र
27.	दतिया	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दतिया	सिविल जिला दतिया का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 28 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).

28.	दतिया	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सेवढा	सेवढा का विद्युत क्षेत्र
29.	देवास	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवास	सिविल जिला देवास का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 30, 31, 32 एवं 33 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
30.	देवास	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बागली	बागली का विद्युत क्षेत्र
31.	देवास	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोनकच्छ	सोनकच्छ का विद्युत क्षेत्र
32.	देवास	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कन्नौद	कन्नौद का विद्युत क्षेत्र
33.	देवास	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खातेगांव	खातेगांव का विद्युत क्षेत्र
34.	धार	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, धार	सिविल जिला धार का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 35, 36, 37, एवं 38 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
35.	धार	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कुक्षी	कुक्षी का विद्युत क्षेत्र
36.	धार	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनावर	मनावर का विद्युत क्षेत्र
37.	धार	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सरदारपुर	सरदारपुर का विद्युत क्षेत्र
38.	धार	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, धरमपुरी	धरमपुरी का विद्युत क्षेत्र
39.	डिंडोरी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डिंडोरी	डिंडोरी का समस्त विद्युत क्षेत्र
40.	खण्डवा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा	सिविल जिला खण्डवा का समस्त विद्युत क्षेत्र
41.	गुना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गुना	सिविल जिला गुना का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 42 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
42.	गुना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, चांचौड़ा	चांचौड़ा का विद्युत क्षेत्र
43.	ग्वालियर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम 2003) क्रमांक-3	सिविल जिला ग्वालियर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 44 एवं 45 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
44.	ग्वालियर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम 2003) क्रमांक-4	सिविल जिला ग्वालियर का उत्तर संभाग, गोल पहाडिया एवं शिंदे की छावनी का विद्युत क्षेत्र

//4//

45.	ग्वालियर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, डबरा	डबरा का विद्युत क्षेत्र
46.	हरदा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हरदा	सिविल जिला हरदा का विद्युत क्षेत्र
47.	होशंगाबाद	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, होशंगाबाद	सिविल जिला होशंगाबाद का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 48, 49 एवं 50 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
48.	होशंगाबाद	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर	सोहागपुर एवं पचमढी का विद्युत क्षेत्र
49.	होशंगाबाद	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिपरिया	पिपरिया का विद्युत क्षेत्र
50.	होशंगाबाद	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इटारसी	इटारसी का विद्युत क्षेत्र
51.	इंदौर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इंदौर विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम 2003) क्रमांक-5	इंदौर शहर एवं पूर्व संभाग एवं इंदौर शहर दक्षिण संभाग का विद्युत क्षेत्र
52.	इंदौर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इंदौर विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम 2003) क्रमांक-6	देपालपुर संचालन एवं सधारण संभाग देपालपुर एवं इंदौर शहर मध्य संभाग का विद्युत क्षेत्र
53.	इंदौर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इंदौर विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम 2003) क्रमांक-7	इंदौर शहर उत्तर संभाग, पश्चिम संभाग का विद्युत क्षेत्र, पारेषण तथा वितरण संभाग, इंदौर एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी से संबंधित समस्त मामलें, (महू तहसील को छोड़कर)
54.	इंदौर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अंबेडकर नगर	महू का विद्युत क्षेत्र
55.	जबलपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम 2003) क्रमांक-8	सिविल जिला जबलपुर का पश्चिम संभाग एवं ग्रामीण विद्युत क्षेत्र
56.	जबलपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम 2003) क्रमांक-9	सिविल जिला जबलपुर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 55 एवं 57 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
57.	जबलपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिहोरा	सिहोरा का विद्युत क्षेत्र

58.	झाबुआ	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, झाबुआ	सिविल जिला झाबुआ, पेटलावद एवं थांदला का समस्त विद्युत क्षेत्र
59.	कटनी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, कटनी	सिविल जिला कटनी का समस्त विद्युत क्षेत्र
60.	मंडला	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंडला	सिविल जिला मंडला का समस्त विद्युत क्षेत्र
61.	मंदसौर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मंदसौर	सिविल जिला मंदसौर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 62 एवं 63 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
62.	मंदसौर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गरोठ	गरोठ का विद्युत क्षेत्र
63.	मंदसौर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भानपुरा	भानपुरा का विद्युत क्षेत्र
64.	मुरैना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मुरैना	सिविल जिला मुरैना का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 65, 66 एवं 67 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
65.	मुरैना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अम्बाह	अम्बाह का विद्युत क्षेत्र
66.	मुरैना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सबलगढ़	सबलगढ़ का विद्युत क्षेत्र
67.	मुरैना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जौरा	जौरा का विद्युत क्षेत्र
68.	नरसिंहपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहपुर	सिविल जिला नरसिंहपुर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 69 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
69.	नरसिंहपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, गाडरवारा	गाडरवारा एवं तेन्दुखेड़ा का विद्युत क्षेत्र।
70.	नीमच	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नीमच	सिविल जिला नीमच का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 71 एवं 72 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
71.	नीमच	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मनासा	मनासा का विद्युत क्षेत्र
72.	नीमच	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावद	जावद का विद्युत क्षेत्र
73.	पन्ना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पन्ना	सिविल जिला पन्ना का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 74 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
74.	पन्ना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पवई	पवई का विद्युत क्षेत्र
75.	रायसेन	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रायसेन	सिविल जिला रायसेन का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 76 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
76.	रायसेन	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बेगमगंज	बेगमगंज का विद्युत क्षेत्र

77.	राजगढ़	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़	सिविल जिला राजगढ़ का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 78, 79 एवं 80 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
78.	राजगढ़	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यावरा	ब्यावरा का विद्युत क्षेत्र
79.	राजगढ़	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नरसिंहगढ़	नरसिंहगढ़ का विद्युत क्षेत्र
80.	राजगढ़	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सारंगपुर	सारंगपुर एवं पचौर का विद्युत क्षेत्र
81.	रतलाम	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रतलाम	सिविल जिला रतलाम के समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 82 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
82.	रतलाम	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जावरा	जावरा का विद्युत क्षेत्र
83.	रीवा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रीवा	सिविल जिला रीवा के दक्षिण संभाग का संपूर्ण विद्युत क्षेत्र।
84.	रीवा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रीवा	सिविल जिला रीवा का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 83, 85 एवं 86 के न्यायालय को दी गई अधिकारिता को छोड़कर)
85.	रीवा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, त्योंथर	सिविल जिला रीवा के उत्तर संभाग का संपूर्ण विद्युत क्षेत्र।
86.	रीवा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मउगंज	मउगंज का विद्युत क्षेत्र
87.	सागर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सागर विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम 2003) क्रमांक-10	सिविल जिला सागर के समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 88, 89, 90 एवं 91 के न्यायालय को दी गई अधिकारिता को छोड़कर)
88.	सागर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बण्डा	बण्डा का विद्युत क्षेत्र
89.	सागर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खुरई	खुरई का विद्युत क्षेत्र
90.	सागर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बीना	बीना का विद्युत क्षेत्र
91.	सागर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रेहली	रेहली एवं देवरी का विद्युत क्षेत्र
92.	सतना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना	सिविल जिला सतना के सतना शहर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 93, 94, 95 एवं 96 में यथाविनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता का छोड़कर)

93.	सतना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सतना	सिविल जिला सतना के सतना ग्रामीण समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 92, 94, 95 एवं 96 में यथाविनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय की अधिकारिता का छोड़कर)
94.	सतना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नागौद	नागौद तथा उचहरा की स्थानीय सीमाओं में समाविष्ट समस्त विद्युत क्षेत्र
95.	सतना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मैहर	मैहर का विद्युत क्षेत्र
96.	सतना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरपाटन	अमरपाटन की स्थानीय सीमाओं में समाविष्ट विद्युत क्षेत्र।
97.	सीहोर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सीहोर	सिविल जिला सीहोर के समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 98 एवं 99 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
98.	सीहोर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश आष्टा	आष्टा का विद्युत क्षेत्र
99.	सीहोर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश नसरुल्लागंज	नसरुल्लागंज एवं बुधनी का विद्युत क्षेत्र
100.	सिवनी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिवनी	सिविल जिला सिवनी का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 101 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
101.	सिवनी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, लखनादौन	लखनादौन का विद्युत क्षेत्र
102.	शहडोल	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शहडोल	सिविल जिला शहडोल, के समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 103 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
103.	शहडोल	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ब्यौहारी	ब्यौहारी का विद्युत क्षेत्र
104.	शाजापुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शाजापुर	सिविल जिला शाजापुर के समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 105, 106 एवं 107 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
105.	शाजापुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शुजालपुर	शुजालपुर का विद्युत क्षेत्र
106.	शाजापुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, आगर	आगर का विद्युत क्षेत्र
107.	शाजापुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सुसनेर	सुसनेर एवं नलखेड़ा का विद्युत क्षेत्र
108.	श्योपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, श्योपुर	सिविल जिला, श्योपुर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 109 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
109.	श्योपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विजयपुर	विजयपुर का विद्युत क्षेत्र।

110.	शिवपुरी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शिवपुरी	सिविल जिला शिवपुरी का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 111 एवं 112 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
111.	शिवपुरी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, करेरा	करेरा का विद्युत क्षेत्र
112.	शिवपुरी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, पिछोर	पिछोर एवं खनियाधाना का विद्युत क्षेत्र
113.	सीधी	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सीधी	सिविल जिला सीधी का समस्त विद्युत क्षेत्र
114.	सिंगरौली	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिंगरौली	सिविल जिला सिंगरौली का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 115 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
115.	सिंगरौली	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवसर	देवसर का विद्युत क्षेत्र
116.	टीकमगढ़	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, टीकमगढ़	सिविल जिला टीकमगढ़ का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 117 एवं 118 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
117.	टीकमगढ़	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जतारा	जतारा का विद्युत क्षेत्र
118.	टीकमगढ़	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, निवाड़ी	निवाड़ी का विद्युत क्षेत्र
119.	उज्जैन	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन	सिविल जिला उज्जैन के समस्त ग्रामीण विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 120, 121, 122, 123 एवं 124 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
120.	उज्जैन	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन	सिविल जिला उज्जैन के समस्त शहरी विद्युत क्षेत्र
121.	उज्जैन	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़नगर	बड़नगर का विद्युत क्षेत्र
122.	उज्जैन	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खाचरौद	खाचरौद का विद्युत क्षेत्र
123.	उज्जैन	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, महीदपुर	महीदपुर का विद्युत क्षेत्र
124.	उज्जैन	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नागदा	नागदा का विद्युत क्षेत्र
125.	उमरिया	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उमरिया	उमरिया का समस्त विद्युत क्षेत्र
126.	विदिशा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विदिशा	सिविल जिला विदिशा का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 127 एवं 128 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
127.	विदिशा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बासौदा	बासौदा का विद्युत क्षेत्र
128.	विदिशा	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सिरोंज	सिरोंज, कुरवाई एवं लटेरी का विद्युत क्षेत्र

129.	मण्डलेश्वर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, मण्डलेश्वर	सिविल जिला मण्डलेश्वर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 130, 131 एवं 132 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
130.	मण्डलेश्वर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खरगौन	खरगौन का विद्युत क्षेत्र
131.	मण्डलेश्वर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बड़वाह	सनावद तथा बड़वाह का विद्युत क्षेत्र
132.	मण्डलेश्वर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भीकनगांव	भीकनगांव का विद्युत क्षेत्र

F. No. 17 (E) 83-03-XXI-B (One)-5846-2018.— In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) and in supersession of all previous notifications, issued in this behalf, the State Government, hereby, constitutes the Special Courts shown in column (3) for the areas specified in column (4) of the Schedule given below for the purpose of expeditious trial of cases specified in part-14 of the Schedule of the aforesaid Act:-

TABLE

S.No.	Name of Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special Court (According to Electricity area)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Alirajpur	Additional Sessions Judge, Alirajpur	Electricity area of Alirajpur
2.	Alirajpur	Additional Sessions Judge, Jobat	Electricity area of Jobat
3.	Anoppur	Additional Sessions Judge, Anoppur	All Electricity area of Anoppur, Kotma and Rajendragarm
4.	Ashoknagar	Additional Sessions Judge, Ashoknagar	Electricity area of Ashoknagar
5.	Ashoknagar	Additional Sessions Judge, Mungawali	Electricity area of Mungawali and Chanderi

6.	Balaghat	Additional Sessions Judge, Balaghat	Electricity area of Civil District, Balaghat (excluding the territorial territorial jurisdiction given at serial number 7)
7.	Balaghat	Additional Sessions Judge, Waraseoni	Electricity area of Waraseoni
8.	Barwani	Additional Sessions Judge, Barwani	Electricity area of Civil District Barwani (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 9)
9.	Barwani	Additional Sessions Judge, Sendhwa	Electricity area of Sendhwa, Anjad and Rajpur.
10.	Betul	Additional Sessions Judge, Betul	Electricity area of Civil District Betul and Bhaidehi (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 11)
11.	Betul	Additional Sessions Judge, Multai	Electricity area of Multai
12.	Bhind	Additional Sessions Judge, Bhind	Electricity area of Civil District Bhind (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 13 and 14)
13.	Bhind	Additional Sessions Judge, Lahar	Electricity area of Lahar
14.	Bhind	Additional Sessions Judge, Gohad	Electricity area of Gohad
15.	Bhopal	Additional Sessions Judge, Bhopal Special Court (Electricity Act 2003) No.1	Electricity area of South division and East division of Civil District Bhopal
16.	Bhopal	Additional Sessions Judge, Bhopal Special Court (Electricity Act 2003) No.2	Electricity area North division, O & M division and West division of Civil District Bhopal
17.	Burhanpur	Additional Sessions Judge, Burhanpur	Electricity area of Burhanpur

18.	Chhatarpur	Additional Sessions Judge, Chhatarpur	Electricity area of Civil District Chhatarpur (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 19, 20 and 21)
19.	Chhatarpur	Additional Sessions Judge, Nowgaon	Electricity area of Nowgaon
20.	Chhatarpur	Additional Sessions Judge, Bijawar	Electricity area of Bijawar
21.	Chhatarpur	Additional Sessions Judge, Lavkush Nagar	Electricity area of Lavkush Nagar
22.	Chhindwara	Additional Sessions Judge, Chhindwara	Electricity area of Civil District Chhindwara (Excluding the territorial jurisdiction given at serial number 23)
23.	Chhindwara	Additional Sessions Judge, Amarwara	Electricity area of Amarwara (Excluding the cases arising in the area of Thana Chand)
24.	Damoh	Additional Sessions Judge, Damoh	Electricity area of Civil District, Damoh (Excluding the territorial jurisdiction given at serial number 25 and 26)
25.	Damoh	Additional Sessions Judge, Damoh	Electricity area of Tendukhera and Pathriya
26.	Damoh	Additional Sessions Judge, Hatta	Electricity area of Hatta
27.	Datia	Additional Sessions Judge, Datia	Electricity area of Civil District, Datia (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 28)
28.	Datia	Additional Sessions Judge, Seodha.	Electricity area of Seodha
29.	Dewas	Additional Sessions Judge, Dewas	Electricity area of Civil District Dewas (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 30, 31, 32 and 33)
30.	Dewas	Additional Sessions Judge, Bagli	Electricity area of Bagli
31.	Dewas	Additional Sessions Judge, Sonkatch	Electricity area of Sonkatch

32.	Dewas	Additional Sessions Judge, Kannod	Electricity area of Kannod
33.	Dewas	Additional Sessions Judge, Khategaon	Electricity area of Khategaon
34.	Dhar	Additional Sessions Judge, Dhar	Electricity area of Civil District Dhar (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 35,36, 37 and 38)
35.	Dhar	Additional Sessions Judge, Kukshi	Electricity area of Kukshi
36.	Dhar	Additional Sessions Judge, Manawar	Electricity area of Manawar
37.	Dhar	Additional Sessions Judge, Sardarpur	Electricity area of Sardarpur
38.	Dhar	Additional Sessions Judge, Dharamपुरी	Electricity area of Dharamपुरी
39.	Dindori	Additional Sessions Judge, Dindori	Electricity area of Dindori
40.	Khandwa	Additional Sessions Judge, Khandwa	Electricity area of Civil District Khandwa
41.	Guna	Additional Sessions Judge, Guna	Electricity area of Civil District Guna (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 42)
42.	Guna	Additional Sessions Judge, Chachoda	Electricity area of Chachoda
43.	Gwalior	Additional Sessions Judge, Gwalior Special Court, (Electricity Act 2003) No.3 Gwalior	Electricity area of Civil District Gwalior (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 44 and 45)
44.	Gwalior	Additional Sessions Judge, Gwalior Special Court (Electricity Act 2003) No.4 Gwalior	Electricity area of North division, Golpahadia and Shinde Ki Chhawani of Civil District, Gwalior

45.	Gwalior	Additional Sessions Judge, Dabra	Electricity area of Dabra
46.	Harda	Additional Sessions Judge, Harda	Electricity area of Harda
47.	Hoshangabad	Additional Sessions Judge, Hoshangabad	Electricity area of Civil District Hoshangabad (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 48, 49 and 50)
48.	Hoshangabad	Additional Sessions Judge, Sohagpur	Electricity area of Sohagpur and Pachmari
49.	Hoshangabad	Additional Sessions Judge, Pipariya	Electricity area of Pipariya
50.	Hoshangabad	Additional Sessions Judge, Itarsi	Electricity area of Itarsi
51.	Indore	Additional Sessions Judge, Indore Special Court (Electricity Act 2003) No.5 Indore	Electricity area of East division and south division of Indore City
52.	Indore	Additional Sessions Judge, Indore Special Court (Electricity Act 2003) No.6 Indore	Diriction and Maintenance Division of Depalpur and Indore and Middle Division Electricity Area
53.	Indore	Additional Sessions Judge, Indore Special Court (Electricity Act 2003) No.7 Indore	Electricity area of North Division, West Division of Indore City, Transmission & Distribution Division Indore and All the cases related to Chief Vigiance Officer, (excluding Tehsil of Mhow)
54.	Indore	Additional Sessions Judge, Ambedkar Nagar	Electricity area of Mhow
55.	Jabalpur	Additional Sessions Judge, Jabalpur Special Court (Electricity Act 2003) No.9 Jabalpur	West Division and Rural Electricity area of Civil District, Jabalpur

56.	Jabalpur	Additional Sessions Judge, Jabalpur Special Court (Electricity Act 2003) No.8 Jabalpur	Electricity area of Civil District Jabalpur (Excluding the territorial jurisdiction given at serial number 55 and 57)
57.	Jabalpur	Additional Sessions Judge, Sihora	Electricity area of Sihora
58.	Jhabua	Additional Sessions Judge, Jhabua	All Electricity area of Civil District, Jhabua, Petlawad and Thandla
59.	Katni	Additional Sessions Judge Katni	All Electricity area of Civil District, Katni
60.	Mandla	Additional Sessions Judge, Mandla	All Electricity area of Civil District, Mandla
61.	Mandsaur	Additional Sessions Judge, Mandsaur	All Electricity area of Civil District Mandsaur (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 62 and 63)
62.	Mandsaur	Additional Session Judge, Garoth	Electricity area of Garoth
63.	Mandsaur	Additional Sessions Judge, Bhanpura	Electricity area of Bhanpura
64.	Morena	Additional Sessions Judge, Morena	All Electricity area of Civil District Morena (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 65, 66 and 67)
65.	Morena	Additional Sessions Judge, Ambah	Electricity area of Ambah
66.	Morena	Additional Sessions Judge, Sabalgarh	Electricity area of Sabalgarh
67.	Morena	Additional Sessions Judge, Jora	Electricity area of Jora
68.	Narsinghpur	Additional Sessions Judge, Narsinghpur	All Electricity area of Civil District Narsinghpur (Excluding the territorial jurisdiction given at serial number 69).

69.	Narsinghpur	Additional Sessions Judge, Gadarwara	Electricity area of Gadarwara and Tendukhera
70.	Neemuch	Additional Sessions Judge, Neemuch	All Electricity area of Civil District Neemuch (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 71 and 72)
71.	Neemuch	Additional Sessions Judge, Manasa	Electricity area of Manasa
72.	Neemuch	Additional Sessions Judge, Jawad	Electricity area of Jawad
73.	Panna	Additional Sessions Judge, Panna	All Electricity area of Civil District, Panna (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 74)
74.	Panna	Additional Sessions Judge, Pawai	Electricity area of Pawai
75.	Raisen	Additional Sessions Judge, Raisen	All Electricity area of Civil District, Raisen (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 76)
76.	Raisen	Additional Sessions Judge, Begumganj	Electricity area of Begumganj
77.	Rajgarh	Additional Sessions Judge, Rajgarh	All Electricity area of Civil District, Rajgarh (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 78, 79 and 80)
78.	Rajgarh	Additional Sessions Judge, Bioara	Electricity area of Bioara
79.	Rajgarh	Additional Sessions Judge, Narsinghgarh	Electricity area of Narsinghgarh
80.	Rajgarh	Additional Sessions Judge, Sarangpur	Electricity area of Saranpur and Pachor
81.	Ratlam	Additional Sessions Judge, Ratlam	All Electricity area of Civil District, Ratlam (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 82).

82.	Ratlam	Additional Sessions Judge, Jaora	Electricity area of Jaora
83.	Rewa	Additional Sessions Judge, Rewa	All Electricity area of South division of Civil District Rewa
84.	Rewa	Additional Sessions Judge, Rewa	All Electricity area of Civil District, Rewa (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 83, 85, and 86)
85.	Rewa	Additional Sessions Judge, Tyonthar	All Electricity area of North Division of Civil District Rewa
86.	Rewa	Additional Sessions Judge, Mhowganj	Electricity area of Mhowganj
87.	Sagar	Additional Sessions Judge, Sagar Special Court (Electricity Act 2003) No. 10 Sagar	All Electricity area of Civil District, Sagar (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 88, 89, 90 and 91)
88.	Sagar	Additional Sessions Judge, Banda	Electricity area of Banda
89.	Sagar	Additional Sessions Judge, Khurai	Electricity area of Khurai
90.	Sagar	Additional Sessions Judge, Bina	Electricity area of Bina
91.	Sagar	Additional Sessions Judge, Rehli	Electricity area of Rehli and Deori
92.	Satna	Additional Sessions Judge, Satna	All Urban Electricity area of Civil District Satna (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 93 94, 95 and 96)
93.	Satna	Additional Sessions Judge, Satna	All Rural Electricity area of Civil District Satna(excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 92, 94, 95 and 96).
94.	Satna	Additional Sessions Judge, Nagod	All Electricity area included in the local jurisdiction of Nagod and Uchera

95.	Satna	Additional Sessions Judge, Maihar	Electricity area of Maihar
96.	Satna	Additional Sessions Judge, Amarpatan	Electricity area included in the local jurisdiction of Amarpatan
97.	Sehore	Additional Sessions Judge, Sehore	All Electricity area of Civil District, Sehore (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 98 and 99)
98.	Sehore	Additional Sessions Judge, Ashta	Electricity area of Ashta
99.	Sehore	Additional Sessions Judge, Nasrullaganj	Electricity area of Nasrullaganj and Budhni
100.	Seoni	Additional Sessions Judge, Seoni	All Electricity area of Civil District, Seoni (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 101)
101.	Seoni	Additional Sessions Judge, Lakhnadon	Electricity area of Lakhnadon
102.	Shahdol	Additional Sessions Judge, Shahdol	All Electricity area of Civil District, Shahdol (excluding the territorial jurisdiction of Special Court at serial number 103)
103.	Shahdol	Additional Sessions Judge, Beohari	Electricity area of Beohari
104.	Shajapur	Additional Sessions Judge, Shajapur	All Electricity area of Civil District, Shajapur (excluding the jurisdiction of Special Court at serial numbers 105, 106 and 107)
105.	Shajapur	Additional Sessions Judge, Shujalpur	Electricity area of Shujalpur
106.	Shajapur	Additional Sessions Judge, Agar	Electricity area of Agar
107.	Shajapur	Additional Sessions Judge, Susner	Electricity area of Susner and Nalkheda
108.	Sheopur	Additional Sessions Judge, Sheopur .	All electricity area of Civil District, Sheopur (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 109)

109.	Sheopur	Additional Sessions Judge, Vijaypur	Electricity area of Vijaypur
110.	Shivpuri	Additional Sessions Judge, Shivpuri	All electricity area of Civil District, Shivpuri (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 111 and 112)
111.	Shivpuri	Additional Sessions Judge, Karera	Electricity area of Karera
112.	Shivpuri	Additional Sessions Judge, Pichhore	Electricity area of Pichhore and Khaniyadhana
113.	Sidhi	Additional Sessions Judge, Sidhi	All Electricity area of Civil District Sidhi
114.	Singroli	Additional Sessions Judge, Singroli	All Electricity area of Civil District Singroli (excluding the territorial jurisdiction given at serial number 115)
115.	Singroli	Additional Sessions Judge, Deosar	Electricity area of Deosar
116.	Tikamgarh	Additional Sessions Judge, Tikamgarh	All Electricity area of Civil District, Tikamgarh (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 117 and 118).
117.	Tikamgarh	Additional Sessions Judge, Jatara	Electricity area of Jatara
118.	Tikamgarh	Additional Sessions Judge, Niwari	Electricity area of Niwari
119.	Ujjain	Additional Sessions Judge, Ujjain	All Electricity Rural area of Civil District, Ujjain (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 120, 121, 122, 123 and 124)
120.	Ujjain	Additional Sessions judge, Ujjain	All Electricity Urban area of Civil District Ujjain
121.	Ujjain	Additional Sessions judge, Badnagar	Electricity area of Badnagar
122.	Ujjain	Additional Sessions Judge, Khachrod	Electricity area of Khachrod

123.	Ujjain	Additional Sessions Judge, Mahidpur	Electricity area of Mahidpur
124.	Ujjain	Additional Sessions Judge, Nagda	Electricity area of Nagda
125.	Umariā	Additional Sessions Judge, Umariā	Electricity area of Umariā
126.	Vidisha	Additional Sessions Judge, Vidisha	All electricity area of Civil District, Vidisha (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 127 and 128)
127.	Vidisha	Additional Sessions Judge, Basoda	Electricity area of Basoda
128.	Vidisha	Additional Sessions Judge, Sironj	Electricity area of Sironj, Kurwai and Lateri
129.	Mandleshwar	Additional Sessions Judge, Mandleshwar	All electricity area of Civil District, Mandleshwar (excluding the territorial jurisdiction given at serial numbers 130, 131, and 132).
130.	Mandleshwar	Additional Sessions Judge, Khargone	Electricity area of Khargone,
131.	Mandleshwar	Additional Sessions Judge, Barwah	Electricity area of Sanawad and Barwah
132.	Mandleshwar	Additional Sessions Judge, Bhikangaon	Electricity area of Bhikangaon

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

शुद्धि-पत्र

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2018

फा. क्र. 2966-इक्कीस-ब (दो)-2018.—इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 अगस्त 2018, जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, दिनांक 7 सितम्बर 2018 में किया गया है में “धारा 30” के स्थान पर “धारा 31” तथा “धारा 31” के स्थान पर “धारा 30” पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अक्टूबर 2018

क्र. 1504-1445-2018-बीस-3.—मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्यपुस्तकों संबंधी व्यवस्था) अधिनियम, 1973 (क्रमांक 13 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 से कक्षा 1 से 8 की निम्नलिखित पाठ्यपुस्तकें विहित करती है, अर्थात्:—

अनु- क्रमांक	कक्षा	विषय	पुस्तक का शीर्षक	माध्यम	प्रकाशक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1	गणित	गणित का जादू भाग-1	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू मराठी	मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक
2	2	गणित	गणित का जादू भाग-2	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी	निगम, भोपाल (समस्त
3	3	गणित	गणित का जादू भाग-3	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी	पाठ्यपुस्तकों के लिए).
4	3	पर्यावरण अध्ययन	पर्यावरण अध्ययन आस-पास	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू मराठी	
5	4	गणित	गणित का जादू भाग-4	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू मराठी	
6	4	पर्यावरण अध्ययन	पर्यावरण अध्ययन आस-पास	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू मराठी	
7	5	गणित	गणित का जादू भाग-5	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू मराठी	
8	5	पर्यावरण अध्ययन	पर्यावरण अध्ययन आस-पास.	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू मराठी	
9	6	गणित	गणित	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू मराठी	
10	6	विज्ञान	विज्ञान	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू मराठी	
11	7	गणित	गणित	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू मराठी	
12	7	विज्ञान	विज्ञान	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू मराठी	
13	8	गणित	गणित	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू मराठी	
14	8	विज्ञान	विज्ञान	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू मराठी	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद कुमार सिंह, उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2018

क्र. एफ. 11-02-2017-सात-शा.-6.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11-7-2018 एम एण्ड जी, दिनांक 10 सितम्बर, 2018 द्वारा संसूचित अनापत्ति के अनुसरण में, राज्य शासन, एतद्वारा, जिला सतना की तहसील अमरपाटन के ग्राम का नाम, सूची के कॉलम (3) में वर्णित अनुसार तत्काल प्रभाव से परिवर्तित करता है अर्थात्:—

अनुक्रमांक	ग्राम का वर्तमान नाम	ग्राम का नया नाम
(1)	(2)	(3)
1.	नकटी	नयनपुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2018

क्र. एफ. 11-02-2017-सात-शा.-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 11-02-2017-सात-शा.-6, दिनांक 12 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

Bhopal, the 12th December 2018

No. F 11-02-2017-VII-Sec.-6.—In pursuance of No Objection conveyed by the Government of India, Ministry of Home Affairs vide letter No. 11/7/2018 M & G dated the 10th September 2018 the State Government, hereby change the name of village of District Satna of Tahsil Amarpatan as mentioned in column (3) with immediate effect, namely:—

S. No.	Present Name of the Village	New Name of the Village
(1)	(2)	(3)
1.	Nakti	Nayanpur

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ANURAG SAXENA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2018

क्र. एफ. 11-04-2017-सात-शा.-6.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र क्रमांक 11/13/2018 एम एण्ड जी, दिनांक 28 सितम्बर 2018 द्वारा संसूचित अनापत्ति के अनुसरण में राज्य शासन, एतद्वारा, जिला छतरपुर की तहसील छतरपुर के ग्राम का नाम, सूची के कॉलम (3) में वर्णित अनुसार तत्काल प्रभाव से परिवर्तित करता है, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	ग्राम का वर्तमान नाम	ग्राम का नया नाम
(1)	(2)	(3)
1.	रसुईयाभाटन	राधेनगर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2018

क्र. एफ. 11-04-2017-सात-शा.-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र. एफ. 11-04-2017-सात-शा.-6, दिनांक 12 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

Bhopal, the 12th December 2018

No. F 11-04-2017-VII-Sec.-6.—In pursuance of No Objection conveyed by the Government of India, Ministry of Home Affairs vide letter No. 11/13/2018 M & G dated the 28th September 2018 the State Government, hereby change the name of village of District Chhatarpur of Tahsil Chhatarpur as mentioned in column (3) with immediate effect, namely:—

S. No.	Present Name of the Village	New Name of the Village
(1)	(2)	(3)
1.	Rasuiya Bhatan	Radheynagar

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ANURAG SAXENA, Dy. Secy.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. भू-अर्जन-2018-19-69-70

शाजापुर, दिनांक 22 नवम्बर 2018

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा - 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा - 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा-11 की उपधारा-1 के अधिन अधिसूचित किया गया है, जिसकी लोक प्रायोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति (ख) लोक प्रायोजन के लिए दिये गये औचित्य के प्रति, (ग) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी/ भू अर्जन अधिकारी शाजापुर के कार्यालय में कर सकेगा।

अनुसूची (01)

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
1	2	3	4	5	6
शाजापुर	मो.बड़ोदिया	कमरदीपुर	निजी भूमि 0.28 हे.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, निर्माण, उच्चैः संभाग	शाजापुर जिले के एन. एच.-3 को कबुलपुर कमरदीपुर से जोड़ने वाले मार्ग में उतावली नदी पर जलमगनीय पुल एवं पहुँच मार्ग

अनुसूची (01)

(1) शाजापुर जिले के एन. एच.-3 को कबुलपुर कमरदीपुर से जोड़ने वाले मार्ग में उतावली नदी पर जलमगनीय पुल एवं पहुँच मार्ग

स. क्रमांक	कृषक का नाम पतिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
01	कल्लूखां, ओरंगजेब खां पिता बुंदे खां जाति मुसलमान नि. ग्राम उकावता समान भाग भूमि स्वामी	57/2	0.100	0.000	0.000	0.100	0.000	0.100

02	<p>शंकरसिंह, भगवानसिंह हाकमसिंह पिता रतनसिंह, लाइकुवरबाई, मानकुवरबाई, सरेकुवरबाई, प्रकाशकुवेरबाई, विष्णुकुवरबाई पिता रतनसिंह भाग 11-1/2 भूमि स्वामी, भवंरसिंह, भादरसिंह, अन्तरसिंह, भगवानसिंह, गंगाबाई, श्यामुबाई, कैलाशबवई पिता माधोसिंह, रोशनसिंह पिता प्रेमसिंह ना.बा. सर माता संतोषबाई व संतोषबाई वि. प्रेमसिंह हिस्सा 12-1/4 भूमि स्वामी, सोरमबाई वि. मानसिंह भाग 27-1/4 जाति राजपुत, मुनिम खां, सुलेमान खां पिता बुंदे खां हिस्सा 3-1/4 ओरेगजेब खां, मुनिम खां, सुलेमान खां पिता बुंदे खां हिस्सा 7 पै. नि.ग्राम उकावता बुंदे खां, छोटे खां, नवाब खां पिता वजीर खां हिस्सा 4 पै., नवाब खां वजीर खां भाग 8-1/2 पै. छोटे खां पिता वजीर खां भाग 7 पै. बुंदे खां पिता वजीर खां भाग 6 पै. नि.ग्राम उकावता, हमीद खां लतीफ खां पिता अब्दुल खां हि. 2-1/4 नि.ग्राम रसुलपुर भूमिस्वामी, रसुल खां अजीज खां, रज्जाक खां, सरदार खां पिता ईस्माइल खां भाग 6-1/2 पै. नि.ग्राम उकावता रुफीक खां पिता सरदार खां भाग 4-3/4 नि. नगर सारंगपुर भूमिस्वामी</p>	58	-	-	-	0.020	0.000	0.020
03	<p>शंकरसिंह, भगवानसिंह हाकमसिंह पिता रतनसिंह, लाइकुवरबाई, मानकुवरबाई, सरेकुवरबाई, प्रकाशकुवेरबाई, विष्णुकुवरबाई पिता रतनसिंह भाग 11-1/2 भूमि स्वामी, भवंरसिंह, भादरसिंह, अन्तरसिंह, भगवानसिंह, गंगाबाई, श्यामुबाई, कैलाशबवई पिता माधोसिंह, रोशनसिंह पिता प्रेमसिंह ना.बा. सर माता संतोषबाई व संतोषबाई वि. प्रेमसिंह हिस्सा 12-1/4 भूमि स्वामी, सोरमबाई वि. मानसिंह भाग 27-1/4 जाति राजपुत,</p>	61	0.000	0.150	0.150	0.000	0.150	0.150

	मुनिम खां, सुलेमान खां पिता बुंदे खां हिस्सा 3-1/4 ओरेगजेब खां, मुनिम खां, सुलेमान खां पिता बुंदे खां हिस्सा 7 पै. नि.ग्राम उकावता बुंदे खां, छोटे खां, नवाब खां पिता वजीर खां हिस्सा 4 पै., नवाब खां वजीर खां भाग 8-1/2 पै. छोटे खां पिता वजीर खां भाग 7 पै. बुंदे खां पिता वजीर खां भाग 6 पै. नि.ग्राम उकावता, हमीद खां लतीफ खां पिता अब्दुल खां हि. 2-1/4 नि.ग्राम रसुलपुर भूमिस्वामी, रसुल खां अजीज खां, रज्जाक खां, सरदार खां पिता ईस्माइल खां भाग 6-1/2 पै. नि.ग्राम उकावता रूफीक खां पिता सरदार खां भाग 4-3/4 नि. नगर सारंगपुर भूमिस्वामी							
04	गोपालसिंह पिता रामसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम	53	0.240	0.000	0.240	0.010	0.000	0.010
	योग :-	0	0	0	0	0.130	0.150	0.280

भूमि के नक्षे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाजापुर/भू अर्जन अधिकारी शाजापुर के कार्यालय में किया जाता सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीकांत बनोट, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 9442-भू-अर्जन-2018-प्र. क्र. 10-अ-82-2018-19

उज्जैन, दिनांक 10 दिसम्बर 2018

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास पार्किंग के अंतर्गत कस्बा उज्जैन तहसील व जिला उज्जैन के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास पार्किंग से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क.30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम-कस्बा उज्जैन

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
	सिंचित	असिंचित	कुल
श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास पार्किंग के अंतर्गत	—	0.175	0.175
योग	—	0.175	0.175

अनुसूची (2)

महाकालेश्वर मंदिर के आसपास दर्शनार्थियों को पार्किंग सुविधा के अंतर्गत कस्बा उज्जैन की प्रभावित भूमि का विवरण :-

ग्राम- कस्बा उज्जैन

तहसील व जिला उज्जैन

क्र०	भूमि स्वामी का नाम	सर्वे नं०	कुल रकबा	अधिग्रहित रकबा		कुल अधिग्रहित	परिसम्पत्ति
				सिंचित रकबा	असिंचित रकबा		
1	रतनकुंवर बेवा सुभाषचन्द्र, कमलकिशोर पिता सुभाषचन्द्र, कु० शैलबाला पिता सुभाषचन्द्र नि० डी-423 विवेकानन्द कॉलोनी, उज्जैन	2119/3/ 2	0.175	—	0.175	0.175	नीम-8, सुरजना-2, बिल्व पत्र-2, सेतुस-1, पीपल-1, फूलदार वृक्ष-5
	योग		0.175	—	0.175	0.175	

क्र. 9443-भू-अर्जन-2018-प्र. क्र. 09-अ-82-2017-18

// प्रारम्भिक अधिसूचना //

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन्2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास दर्शनार्थियों को पार्किंग सुविधा के अंतर्गत कस्बा उज्जैन तहसील व जिला उज्जैन के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास दर्शनार्थियों को पार्किंग सुविधा से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क.30 सन्2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम-कस्बा उज्जैन

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
	सिंचित	असिंचित	कुल
श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास दर्शनार्थियों को पार्किंग सुविधा के अंतर्गत योग	2.891	1.561	4.452
	2.891	1.561	4.452

अनुसूची (2)

महाकालेश्वर मंदिर के आसपास दर्शनार्थियों को पार्किंग सुविधा के अंतर्गत कस्बा उज्जैन की प्रभावित भूमि का विवरण :-

ग्राम- कस्बा उज्जैन

तहसील व जिला उज्जैन

क्र०	भूमि स्वामी का नाम	सर्वे नं०	कुल रकबा	अधिग्रहित रकबा		कुल अधिग्रहित	परिसम्पत्ति
				सिंचित रकबा	असिंचित रकबा		
1	विजय, रामचंद्र पिता	2331 मिन	0.062	-	0.062	0.062	सर्वे क्रमांक 2333 में कुआ-1 सर्वे क्रमांक 2334 में मकानात-6 (1)कृष्णाबाई पति सालगराम 22x50 वर्गफीट (2)शंकरलाल पिता मोहनलाल 20x50 वर्गफीट (3) ममता चौहान पति कमल चौहान 20x50 वर्गफीट (4) शोभाबाई पति हेमराम 20x50 वर्गफीट (5) दिनेश नामदेव पिता मोहनलाल 20x50 वर्गफीट (6) मंजुलाल 20x50 वर्गफीट
	कन्हैयालाल, सुरेश दत्तक पुत्र शंकरलाल, कांतिलाल	2332/1	0.303	0.303	-	0.303	
	दत्तक पुत्र चैनसिंह,	2332/2	0.439	0.439	-	0.439	
	दीपक प्रवेश, गायत्री पिता	2332/3	0.334	0.334	-	0.334	
	मांगीलाल, पार्वतीबाई	2333 मिन	0.300	0.300	-	0.300	
	विधवा मांगीलाल, पवन,	2334 मिन	0.076	-	0.076	0.076	
सागर, बरखा, प्रार्थना पिता जुगलकिशोर, राधाबाई विधवा जुगलकिशोर, जाति माली, नि० जयसिंहपुरा	2390	0.042	-	0.042	0.042		
योग	7	1.556	1.376	0.180	1.556		

2	शंकरलाल लक्ष्मीनारायण पिता बालाराम डागर नि० जयसिंहपुरा	2391	0.136		0.136	0.136	
3	शुबचंद्र, राजाराम, लालजी, रामेश्वर, रूपसिंह, भाग 1/2 विनायक पिता कालू माली नि० जयसिंहपुरा	2393/1 2393/2 2394	0.167 0.094 0.073		0.167 0.094 0.073	0.167 0.094 0.073	
	योग	3	0.334		0.334	0.334	
4	पंच मालियान जयसिंहपुरा उज्जैन भूमि स्वामी मुखिया फूलसिंह पिता नाथुसिंह, नि० जयसिंहपुरा	2395 2396 2397 2398	0.314 0.052 0.491 0.408	0.314 0.052 0.491 0.408		0.314 0.052 0.491 0.408	मोबाईल टावर-3
	योग	4	1.265	1.265		1.265	
5	श्री राधाकृष्ण मंदिर व्यवस्थापक कलेक्टर जि० जिला उज्जैन	2399 2382	0.125 0.125	0.125 0.125		0.125 0.125	
	योग	2	0.250	0.250		0.250	
6	रमेश, कैलाश पिता भागीरथ, मांगीबाई विधवा नगजी, रणजीत, कमल, दुर्गाबाई पिता नगजी, कांताबाई विधवा घनश्याम, ललिता, अनिता, किरण, जायल, सतीश, पिता घनश्याम जाति-माली नि० जयसिंहपुरा	2400	0.031		0.031	0.031	
7	गोमाबाई पति हेमराज श्रीहान	2331 मिन	0.011		0.011	0.011	
8	सुधन, माधव, रूपचंद, सेवाराम पिता ईश्वरदास, नि० 29 अलखधाम नगर	2333 मिन	0.038		0.038	0.038	
9	अविनाशी धाम, मां रेवा भद्रमणी नाग राजेश्वर मंदिर द्वारा अविनाशी गुरु अशोक कुमार पिता हिरालाल नागर, कृष्णा पति अविनाशी गुरु अशोक कुमार, पिता होरालाल नागर, अविनाशी माता नि०. ग्राम 138 खेड़ापति हनुमान मंदिर बहादुरगंज	2333 मिन	0.046		0.046	0.046	
10	अविनाशी धाम, मां रेवा भद्रमणी नाग राजेश्वर मंदिर द्वारा कृष्णा पति अविनाशी गुरु अशोक कुमार, अविनाशी माता नि०. ग्राम 138 खेड़ापति हनुमान मंदिर बहादुरगंज	2333 मिन	0.046		0.046	0.046	
11	श्री कौठारी समाज उज्जैन अध्यक्ष नंदकिशोर पिता बेहारीलाल, देवांग कोष्टी समाज, इंदौर अध्यक्ष शोक पिता सुंदरलाल बावडिया नि० इंदौर	2333 मिन	0.046		0.046	0.046	ट्यूबवेल-1 बंद

12	मिश्रिलेश पति दिनेश दिग्विजय, नि० फायरब्रिगेड बिल्डिंग आगररोड़	2333 मिन	0.046		0.046	0.046	
13	बुंदेलखण्ड झिझोतिया ब्राम्हण समाज सुनील पिता गौरीशंकर चौबे, ऋषिकुमार पिता रामकृष्ण	2333 मिन	0.074		0.074	0.074	
14	महेश कानडी पिता भेरूलाल कानडी नि० 02 अंजुन नगर	2417/2 मिन 2417/2 मिन 2417/2 मिन 2418/2 मिन 2424 2425	0.063 0.071 0.142 0.010 0.021 0.157		0.063 0.071 0.142 0.010 0.021 0.157	0.063 0.071 0.142 0.010 0.021 0.157	
	योग	6	0.464		0.464	0.464	
15	अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत समाज शाखा रणथम्भौर राजस्थान धार्मिक एवं पारमार्थिक तथा शैक्षणिक लोक न्यास उज्जैन द्वारा अध्यक्ष भेरूसिंह पिता करणसिंह चौहान नि० ग्राम रामपुर तह० शुजालपुर जिला शाजापुर	2417/1 2418/1	0.058 0.021		0.058 0.021	0.058 0.021	
	योग	2	0.079		0.079	0.079	
16	गान्धिराम, विष्णू पिता कन्हैयालाल, जमनाबाई दि.खुबचंद, श्याम, नवीन पिता खुबचंद माली	2421	0.105		0.030	0.030	कुआं-1
	योग	1	0.105		0.030	0.030	
	महायोग		4.527	2.891	1.561	4.452	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2018

फा0कमांक-5369/2018/21-ब(दो), श्री पुरुषेन्द्र कौरव, वरिष्ठ अधिवक्ता को आदेश दिनांक 06.06.2017 द्वारा मध्यप्रदेश के महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने उक्त पद से अपना त्याग पत्र दिनांक 12.12.2018 को प्रस्तुत कर दिया है। मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा यह त्याग पत्र दिनांक 18.12.2018 से स्वीकार किया जाता है।

F.No.5369/2018/21-B(II) Shri Purushaindra Kaurav, Senior Advocate was appointed as Advocate General for Madhya Pradesh by order dated 06.06.2017. He has submitted his resignation dated 12.12.2018 from the office of the Advocate General. The Governor of Madhya Pradesh is hereby pleased to accept the said resignation with effect from 18.12.2018.

फा0कमांक-5369/2018/21-ब(दो), भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, श्री राजेन्द्र तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश के पद पर नियुक्त करते हैं।

F.No.5369/2018/21-B(II) In exercise of the powers conferred by clause (I) of Article 165 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to appoint Shri Rajendra Tiwari, Senior Advocate to be Advocate General for Madhya Pradesh with effect from the date he assumes charge of his duties.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2018

अधिसूचना क्रमांक/डी-05-10/101/09/14-3: मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 42 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के निम्नलिखित सदस्यों की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त करती है :-

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | श्री एस.एस. उप्पल,
निवासी, ई-4/75, अरेरा कालोनी,
भोपाल। | विशेषज्ञ |
| 2. | श्री सुनील नामदेव,
नामदेव निवास, सिविल अस्पताल
के पास, वार्ड नंबर-2, मुक्तिधाम रोड,
बिछिया जिला मण्डला। | विशेषज्ञ |
| 3. | श्री धरम सिंह आर्य,
(खाती) अध्यक्ष, कृ.उ.मं.स. आष्टा,
निवासी ग्राम खामखेड़ा, पो. बैजनाथ
तहसील आष्टा, जिला सीहोर | सदस्य |
| 4. | श्री रामेश्वर पटेल,
अध्यक्ष, कृ.उ.मं.स. बनापुरा
निवासी ग्राम राममियाउ,
बिसोनीकलौं, तहसील सिवनी मालवा
जिला होशंगाबाद। | सदस्य |
| 5. | श्री आजम सिंह,
अध्यक्ष, कृ.उ.मं.स. अलीराजपुर,
निवासी ग्राम व पोस्ट हर्षवाज,
तहसील एवं जिला अलीराजपुर | सदस्य |
| 6. | श्रीमती रामकुंवर बाई पाटीदार,
अध्यक्ष, क.उ.म.स. निवासी ग्राम
सदगांव, तहसील व जिला शाजापुर | सदस्य |
| 7. | श्री जितेन्द्र रावत,
अध्यक्ष, कृ.उ.म.स. भितरवार,
निवासी ग्राम व पोस्ट ईटमा,
तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर | सदस्य |

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 8 | श्री देवेन्द्र नरवरिया,
अध्यक्ष, कृ.उ.म.स. मेहगाँव,
निवासी, 491 शिक्षा मार्ग,
आर्य नगर, जिला भिण्ड | सदस्य |
| 9 | श्री बृजेश राय,
अध्यक्ष, कृ.उ.म.स. छतरपुर,
निवासी घोषियाना मोहल्ला, बसारी,
दरवाजा के पास, ग्वालमगरा रोड़
जिला छतरपुर | सदस्य |
| 10. | श्री शेष राव यादव,
अध्यक्ष, कृ.उ.म.स. छिन्दवाड़ा
निवासी सतपुड़ा विहार कालोनी,
छिन्दवाड़ा | सदस्य |
| 11. | श्री स्वदीप सिंह,
अध्यक्ष, कृ.उ.म.स. हनुमना,
जिला रीवा | सदस्य |
| 12. | श्री राजेश तिवारी,
अध्यक्ष, कृ.उ.म.स. ब्यौहारी
निवासी ग्राम मुंदरिया टोला,
पोस्ट वनसुकली, तहसील जैसीनगर
जिला शहडोल | सदस्य |
| 13. | श्री मनोज काला,
186, विंध्याचल कालोनी, इन्दौर | सदस्य (व्यापा) |
| 14. | श्री हंसराज मालपानी,
पिता स्व. श्री बल्लभदासजी मालपानी,
निवासी शास्त्री वार्ड, गाडरवारा जिला नरसिंहपुर | सदस्य (व्यापा) |
| 15. | श्री रामचंद्र पिता श्री दशरथ मौर्य,
हम्माल, कृ.उ.म.स. खण्डवा
निवासी दादाजी वार्ड
जिला खण्डवा | सदस्य (हम्मा) |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुकेश कुमार शुक्ला, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2018

क्र. डी-05-10-101-09-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 20 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मुकेश कुमार शुक्ला, अपर सचिव.

Bhopal, the 19th December 2018

No.D-5-10/101/09/14-3: In exercise of powers conferred by sub section (3) of section 42 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No.24 of 1973), the State Government hereby cancel the nomination of the following Members of Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board from immediate effect :-

S.No.	Name	Post
1.	Shri S.S.Upal, R/o E-4/75, Arera Colony, Bhopal.	Specialist
2.	Shri Sunil Namdeo, Namdeo Niwas, Near Civil Hospital, Ward No.2, Muktidham Road, Bichhiya, District. Mandla.	Specialist
3.	Shri Dharam Singh Arya (Khati), Chairman, Krishi Upaj Mandi Samiti, Aashta, Residence Gram Khamkheda, Post: Baijnath, Tehsil Aashta, District Sehore	Member
4.	Shri Rameshwar Patel, Chairman, Krishi Upaj Mandi Samiti, Banapura, Residence Gram Rammiyau, Post : Bisonikalan, Tehsil Seoni- Malwa, District Hoshangabad	Member
5.	Shri Azam Singh, Chairman, Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur, Residence Gram and Post Harshwaj, Tehsil and District Alirajpur	Member
6.	Smt. Ramkuwar Bai Patidar, Chairman, Krishi Upaj Mandi Samiti, Shajapur, Residence Gram Sadgaon, Tehsil and District Shajapur	Member
7.	Shri Jitender Rawat, Chairman, Krishi Upaj Mandi Samiti, Bhitwar, Residence Gram and Post Itama, Tehsil Bhitwar, District Gwalior	Member
8.	Shri Devendra Narvariya, Chairman, Krishi Upaj Mandi Samiti, Mehgaon,	Member

	Residence 491, Shisha Marg, Arya Nagar, District Bhind	
9.	Shri Brijesh Rai, Chairman, Krishi Upaj Mandi Samiti, Chhatarpur, Residence Goshiyana Mohalla, Near Bisari Darwaja, Gvalmagara Road, District Chhatarpur	Member
10.	Shri Sesh Rao Yadav, Chairman, Krishi Upaj Mandi Samiti, Chhindwara, Residence Satpura Vihar Colony, District Chhindwara	Member
11.	Shri Swadeep Singh, Chairman, Krishi Upaj Mandi Samiti, Hanumana, District Rewa	Member
12.	Shri Rajesh Tiwari, Chairman, Krishi Upaj mandi Samiti, Beohari, Residence Gram Madriya Tola, Post : Vansukali, Tehsil Jayasingnagar, District Shahdol	Member
13.	Shri Manoj Kala, 186, Vindhyachal Colony, Indore	Member (Trader representative)
14.	Shri Hansraj Malpani, S/o Late Shri Ballabhadraji Malpani, Residence Shastriward, Gadarpura, District Narsinghpur	Member (Trade representative)
15.	Shri Ramchand S/o Shri Dashrath Morya, Hammal, Krishi Upaj Mandi Samiti, Khandwa, Residence Shivaji Nagar, Dadaji Ward, District Khandwa.	Member (Hammal representative)

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUKESH KUMAR SHUKLA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2018

क.डी-05-10/101/09/14-3 : मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (कमांक 24 सन् 1973) की धारा 42 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के उपाध्यक्ष के पद पर सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त करती है :-

1. श्री एस.एस. उप्पल, उपाध्यक्ष
निवासी ई-4/75, अरेरा कालोनी,
भोपाल।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार शुक्ला, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2018

क्र. डी-05-10-101-09-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 20 दिसम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश कुमार शुक्ला, अपर सचिव.

Bhopal, the 19th December 2018

No.D-5-10/101/09/14-3: In exercise of powers conferred by sub section (3) of section 42 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhinyam, 1972 (No.24 of 1973), the State Government hereby cancel the nominate Shri S.S.Uppal, Vice Chairman of Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board from immediate effect.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MUKESH KUMAR SHUKLA, Addl. Secy.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 19 नवम्बर 2018

प्र. क्र. 01-अ-82-वर्ष 2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	विश्रामगंज	ग्राम विश्रामगंज की शासकीय आराजी का क्षेत्रफल 8656.30 वर्ग मी. पर निर्मित कुल 134 मकान.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	रूज मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत डूब में प्रभावित मकानों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज खत्री, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 17 दिसम्बर 2018

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 66-अ-82-2017-18-6454.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	सोहागपुर	चांपा	0.182	संभागीय प्रबन्धक, म. प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड, शहडोल मध्यप्रदेश.	नवीन चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण एवं अस्पताल उन्नयन कार्य हेतु भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) संभागीय प्रबन्धक, म. प्र. सड़क विकास निगम लिमि. शहडोल एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा) सोहागपुर, जिला मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुभा श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश, एवं
समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(1) (2)

175/11/1 0.030

खण्डवा, दिनांक 1 दिसम्बर 2018

नस्ती क्र. 71-2017 एलए-भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-0018-
अ-82-17-18.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान
हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि
की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के
लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है
कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

175/2/1 0.030

175/3/1 0.030

81/5/1 0.090

अनुसूची

कुल योग . . . 0.280

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—खण्डवा

(ग) ग्राम—मालीपुरा

(घ) अर्जित रकबा—0.280 हेक्टर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता
है—खण्डवा-सनावद के मध्य आमान परिवर्तन
(गेज कनवर्जन) के साथ न्यू ब्राडगेज बाईपास कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय
अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा उप-
मुख्य इंजीनियर (निर्माण) पश्चिम रेल्वे इंदौर के
कार्यालय में किया जा सकता है.

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

175/1/1

0.100

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विशेष गढ़पाले, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2018

क्र. C-5624-दो-2-8-2015.—श्रीमती रिया त्रिपाठी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 17 से 31 दिसम्बर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पंद्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 दिसम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती रिया त्रिपाठी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रिया त्रिपाठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहतीं।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार।

जबलपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2018

क्र. B-6445-दो-2-70-2018.—डॉ. सुभाष कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत, दिनांक 2 जून 2015 से 1 जून 2017 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. B-6447-दो-2-14-2014.—श्री अमरनाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 24 से 26 दिसम्बर 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 27 से 29 दिसम्बर 2018 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 एवं 23 दिसम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 दिसम्बर 2018 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है।

अवकाश से लौटने पर श्री अमरनाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमरनाथ, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7157-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री अभय कुमार (सक्सेना), सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 के अन्तर्गत श्री सक्सेना को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2018 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	.. 203
अर्द्धवेतन अवकाश	.. 97

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान=203 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश= $\frac{97}{2}$
के एवज में नगद X 30
भुगतान.

क्र. D-7159-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री शिव बदन वर्मा, सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 के अनुसार श्री वर्मा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2018 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	.. 163
अर्द्धवेतन अवकाश	.. 137

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान=163 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्धवेतनिक अवकाश= _____ 137
के एवज में नगद X 30
भुगतान

क्र. D-7161-दो-2-115-2017.—श्री अंजनीनंदन जोशी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 10 से 14 दिसम्बर 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 दिसम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अंजनीनंदन जोशी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अंजनीनंदन जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7163-दो-2-18-2016.—श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 3 अक्टूबर 2018 का, 6 अक्टूबर 2018 का, 10 अक्टूबर 2018 का, 13 अक्टूबर 2018 का, तथा दिनांक 24 अक्टूबर 2018 का कुल पांच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7165-दो-2-25-2017.—श्री देवराज बोहरे, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 10 नवम्बर 2018 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 से 9 नवम्बर 2018 के तथा अवकाश

के पश्चात् में दिनांक 11 नवम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री देवराज बोहरे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री देवराज बोहरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7167-दो-2-31-2018.—श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, देवास को दिनांक 24 से 27 अक्टूबर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-7169-दो-2-42-2014.—श्री आर. के. सोनी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर का निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 24 से 29 सितम्बर 2018 तक, छह दिन का पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।
2. दिनांक 22 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2018 तक, दस दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 अक्टूबर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सोनी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सोनी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2018

क्र. B-6176-दो-2-122-2017.—सुश्री स्वाति बजाज, ओ. एस. डी. मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 12 से 13 नवम्बर 2018 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री स्वाति बजाज, ओ. एस. डी. मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री स्वाति बजाज, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो ओ. एस. डी. के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2018

क्र. D-7196-दो-2-58-2010.—श्री राजेश गुप्ता, जिला न्यायाधीश, (निरीक्षण), जबलपुर को दिनांक 10 से दिनांक 14

दिसम्बर 2018 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 एवं 9 दिसम्बर 2018 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 दिसम्बर 2018 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश गुप्ता, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2018

क्र. B-6226-दो-3-420-80-भाग बारह-शुद्धि-पत्र.—रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी-6103-दो-3-420-80, भाग-बारह, दिनांक 26 अक्टूबर 2018 के द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार तुरकर, सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को स्वीकृत अवकाश नगदीकरण के आदेश की कंडिका क्रमांक-2 के खण्ड (i) में अंकित 223 के स्थान पर 192 पढ़ा एवं समझा जावे.

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.